Speed Post

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. RLM/6/2015/MHOME2/SEOTH/RU-III

Date: 30.07.2019

To,

1. Secretary,
Ministry of Home Affairs,
Department of official Language,
NDCC Building-II Jai Singh Road,
New Delhi- 110001

2. Secretary,
Department of Personnel Training,
North Block,
New Delhi- 110001

Sub: Minutes of the Sitting taken by Ms. Anusuiya Uike, Hon'ble Vice Chairperson, NCST on 09.07.2019 on the issue of by promotion.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceedings of the Sitting taken by Ms. Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice -Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 09-07-2019 for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within one month.

Encl: As above

Yours faithfully,

30/7/2019

(Dr. Lalit Latta)
Director

Copy to:

1. Shri. Ramcharan Lal Meena,
Retd. Joint Director (Rajbhasha),
Archaeological Survey of India,
Janpath New Delhi.

2. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- RLM/6/2015/MHOM2/SEOTH/RU - III)

श्री रामचरण लाल मीणा, संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त) राजभाषा द्वारा पदोन्नति से वंचित रखने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 09.07.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री रामचरण लाल मीणा, संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त) राजभाषा द्वारा पदोन्नति से वंचित रखने व पूर्व पदों पर भी पदोन्नति में विलंब करने के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया गया था। अभ्यावेदक द्वारा बताया गया था कि उनकी सेवा एवं सेवा दस्तावेजों के पूर्ण होने पर भी डीपीसी मई 2016 में की गई जबकि वे चयनित सूची 2011-12 में थे। विभाग द्वारा उन्हें जानबूझकर पदोन्नति से वंचित रखा गया। जिस पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए दिनांक 30.10.2018 को नोटिस जारी कर विभाग से जानकारी मांगी।
2. आयोग के पत्र के प्रत्युत्तर में दिनांक 22.11.2018 के पत्र में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा ने आयोग को अवगत कराया कि संयुक्त निदेशकों को निदेशक के पद पर पदोन्नति के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 21.09.2016 को हुई बैठक में कुल 11 संयुक्त निदेशकों को तदर्थ आधार पर निदेशक के पद पर पदोन्नति करने पर विचार किया गया। समिति ने केवल 1 संयुक्त निदेशक को भर्ती नियमों के अनुसार निदेशक पद पर पदोन्नति के लिए पात्र पाया। अन्य संयुक्त निदेशकों का न्यूनतम 3 वर्ष का नियमित कार्यकाल नहीं था। प्राप्त जवाब की प्रति दिनांक 21.01.2019 को अभ्यावेदक को भेजी गई थी। किंतु अभ्यावेदक ने असंतुष्टि जाहिर करते हुए मामले में न्याय दिलाने का निवेदन किया।
3. मामले में आयोग द्वारा दिनांक 12.03.2019 को बैठक आहूत की गई थी जिसकी अनुशंसा निम्ननानुसार है:
    - अभ्यावेदक द्वारा योग्यता की शर्तें पूरी करने और सभी दस्तावेज पूर्ण रहने के बावजूद संयुक्त निदेशक की नियमित रूप से डीपीसी नहीं होने के कारण पदोन्नति

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

के लाभ से वंचित होना पड़ा। ऐसे में विभाग द्वारा इन्हें नोशनल पदोन्नति दी जानी चाहिए।

- विभाग द्वारा आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के पत्र संख्या – F-23011/16/2016-HR-II दिनांक 22 अगस्त 2016 के अनुसार श्री रघुनाथ सिंह दिनांक 31.01.2002 को सेवानिवृत्त हुए और उन्हें सेवा-निवृत्ति के पश्चात, निदेशक (राजभाषा) के पद पर दिनांक 01.12.2000 से पदोन्नति दी गई है। इस प्रकार इस मामले में भी कार्रवाई की जाए।

4. राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 17.05.2019 को जवाब प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि आयोग की अनुशंसा के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से मार्गदर्शन का अनुरोध किया गया है। विभाग के निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
5. मामले में माननीय उपाध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार दिनांक 09.07.2019 को बैठक आहूत की गई जिसमें राजभाषा विभाग से जे.पी. अग्रवाल (संयुक्त संचिव) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण से जी. जयंथी (संयुक्त सचिव) उपस्थित हुए।
6. आयोग द्वारा अभ्यावेदक को पहले अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया, श्री रामचरण लाल मीणा ने बताया कि राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति को एसटी के पद पर गलत तथ्यों के आधार पर पदोन्नति दी गई लेकिन अनुसूचित जनजाति के साथ भेदभाव किया गया। वर्ष 1997 में उप निदेशक (DD) के लिए 3 एसटी और 7 एससी के के पद निर्धारित किए गए थे लेकिन 7 के मुकाबले 10 लोग उप निदेशक (DD) बनाए गए। उन्हें 6500 के स्केल में दिखाया गया जबकि वर्ष 1 जनवरी 2001 को उनको 7500 के स्केल पर काम करते हुए 5 वर्ष एवं 6500 में 2 वर्ष 4 माह पूरे हो चुके थे। यह पद कैडर की शुरूआत से रिक्त था। राजभाषा विभाग द्वारा कहा गया कि आपको निदेशक बनाया जाएगा। राजभाषा विभाग द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। अर्हता सेवा से वेतनमान जुड़ा होता है। भर्ती नियम (RR) में बदलाव के लिए उन्होंने पहले ही निवेदन किया था। यह बदलाव केवल एसटी की रिक्ति से जुड़ा था जिसमें विभाग द्वारा कोई उत्साह नहीं दिखाया गया था। यह भर्ती नियम (RR) का मामूली संशोधन 4 वर्ष से अधिक समय में भी पूरा नहीं हुआ। जिससे प्रतीत होता है कि विभाग की एसटी के रिक्त पदों को भरने में रूचि नहीं थी।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

7. आयोग द्वारा अभ्यावेदक को संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्रश्न पूछने को कहा गया जिस पर उन्होंने पूछा कि क्या कोई विभाग, डीपीसी को पुरस्कार और दंड के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।
8. इस पर संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।
9. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारी ने बताया कि भर्ती नियम (RR) में जब तक कोई बदलाव नहीं होता है तब तक किसी व्यक्तिगत को लाभ नहीं दिया जा सकता है।
10. राजभाषा विभाग के अधिकारी ने बताया कि पिछली बैठक में आयोग द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करने का निर्देश दिया गया था। अभ्यावेदक जिस मामले का संदर्भ दे रहे हैं उसमें न्यायाधिकरण (CAT) के निर्णय द्वारा पदोन्नति दी गई थी।
11. मामले में आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की गई –
    - प्रकरण में अभ्यावेदक द्वारा पुनः एक लिखित शिकायत राजभाषा विभाग को प्रस्तुत की जाए।
    - राजभाषा विभाग सभी मामलों पर अभ्यावेदक को उचित जवाब प्रस्तुत करे साथ ही विभाग द्वारा इस मामले में गंभीरता से विचार किया जाए।
    - उर्वरक विभाग के पत्र संख्या – F-23011/16/2016-HR-II 22 अगस्त 2016 के अनुसार श्री रघुनाथ सिंह दिनांक 31.01.2002 को सेवानिवृत्त हुए और उन्हें सेवा-निवृत्ति के पश्चात, निदेशक (राजभाषा) के पद पर दिनांक 01.12.2000 से पदोन्नति दिया गया है। इस प्रकार इस मामले में भी कार्रवाई की जाए।
    - संयुक्त निदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति की अर्हता प्राप्त करने की अवधि में यदि कोई डीपीसी की गई है तो अभ्यावेदक को उसमें शामिल करें।
    - यदि किसी कार्मिक ने अपनी सेवा भली-प्रकार पूरी की है और उसके दस्तावेज पूर्ण है तो ऐसे मामले में डीपीसी में हुई देरी के लिए डीओपीटी ऐसे कार्मिक को लाभ देने के लिए समुचित कार्यवाही करे ताकि डीपीसी होने में हुई देरी का नुकसान कार्मिकों को न भुगतना पड़े। ऐसी स्थिति में कार्मिकों को रिक्ति वर्ष से ही नियमित माना जाना चाहिए न कि डीपीसी होने की तारीख से।

राजभाषा विभाग द्वारा आयोग को कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात अपने द्वारा की गई कार्यवाही से एक माह के अंदर अवगत कराएं।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- RLM/6/2015/MHOM2/SEOTH/RU - III)

श्री रामचरण लाल मीणा, संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त) राजभाषा द्वारा पदोन्नति से वंचित रखने व पूर्व पदों पर भी विलंब करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2019 को आयोग में आयोजित सिटिंग में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  1. सुश्री अनुसूईया उइके, — माननीय उपाध्यक्ष महोदया
  2. श्री ए. के सिंह, — सचिव
  3. डॉ ललित लट्टा, — निदेशक
  4. श्री गौरव कुमार, — माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव
  5. श्री आलोक कुमार द्विवेदी, — परामर्शक
- **राजभाषा विभाग के अधिकारी**
  1. श्री जे. पी अग्रवाल, — संयुक्त सचिव
- **कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग**
  1. श्रीमती जी. जयंथी, — संयुक्त सचिव
- **अभ्यावेदक**

  श्री रामचरण लाल मीणा